इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 17, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्र0 एफ 1–10–2010–एक(1) –– भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्व्दारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य(आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, शीर्षक "तीस संस्कृति विभाग" के अधीन भाग (अ) से (ऊ) के स्थान पर, निम्नलिखित भाग तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय:

1 संस्कृति के लिए नीति निर्माण.

2 कला, साहित्य और संस्कृति को हर संभव उपायों व्दारा प्रोन्नत करना और इस संदर्भ में विभिन्न नई योजनाएं विरचित करना.

3 शासकीय कार्य में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षण माध्यम के रूप मे हिन्दी भाषा का उपयोग.

4 भारतीय भाषाओं का अध्ययन और परिरक्षण.

5 अशासकीय सांस्कृतिक संगठनों को प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना.

6 संगीत और ललित कला को प्रोन्नत करना, सुदृढ़ करना और उसका विस्तार तथा इसके महाविद्यालयों को स्थापित करना.

7 ऐतिहासिक दस्तावेजों और पांडुलिपियों का परिरक्षण और शोध कार्य.

8 प्रदेश में फैली हुई पुरातात्विक संपदाओं और निखात निधियों का सर्वेक्षण, उनकी पहचान करना, दस्तावेजीकरण, संपादन, संग्रहण, परिरक्षण, प्रदर्शन, उत्खनन और संरक्षण.

9 ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण और संग्रहालयों का विकास.

10 पुरातात्विक अवशेषों के निजी संग्रह का रजिस्ट्रीकरण.

11 संग्रहालयों में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं का कलात्मक प्रदर्शन/प्रतिकृतियों का निर्माण, प्रदर्शन, पुरातात्विक विषयों पर शोध, सेमिनार और प्रकाशन.

12 राज्य/जिला गजेटियरों का लेखन,प्रकाशन और पुनःमुद्रण.

13. कला,साहित्य और संस्कृति से संबंधित व्याख्यान, गोष्ठियां और विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करना और संचालित करना.

14. जनजातीय और लोक कला, साहित्य एवं संस्कृति का अनुरक्षण, संरक्षण, प्रोत्साहन, प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विकास.

15. स्वाधीनता संग्राम तथा स्वाधीनता संघर्ष–स्वराज के विविध आयामों का अध्ययन तथा उसका विचार विमर्श, दस्तावेजीकरण, संग्रहण और प्रदर्शन. दुर्लभ एवं प्रामाणिक ग्रंथों का संग्रहण एवं प्रकाशन. बहुविध आयोजन करना, प्रोत्साहन करना, प्रचार–प्रसार करना, तथा उच्च स्तरीय गतिविधियों का संचालन करना.

16. भारत एवं संपूर्ण विश्व में हुए स्वाधीनता संघर्ष पर केंद्रित स्मृति चिन्हों, दस्तावेजों, समाचार–पत्रों, पुस्तकों, चित्रों और फिल्मों तथा साहित्य का संग्रहण तैयार करना तथा उनका प्रकाशन करना.
17. स्वाधीनता संग्राम संबंधी व्याख्यान, परिचर्चाएं, गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना.
18. चयनित कलाकारों, साहित्यकारों, विद्वानों, पुरातत्वविदों और संगठनों का सम्मान करना.
19. स्वतंत्रता संग्राम–स्वराज से संबंधित पुरस्कार/अलंकरण प्रदान करना.
20. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,जननायकों तथा प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके समर्पित योगदान की शताब्दी तथा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान.
21. नाट्य विद्यालय, रंगकर्म प्रदर्शन तथा अध्ययन, अभिनय, प्रशिक्षण, प्रसार और विकास.
22. फिल्म सिटी की स्थापना, संचालन तथा समन्वय, फिल्म निर्माण, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, विकास तथा समस्त संबंधित विषय.
23. तीर्थों, मेलों तथा सांस्कृतिक सम्मेलनों का परिरक्षण और संरक्षण.
24. वित्तीय अभाव वाले कलाकारों तथा साहित्यकारों को पेंशन तथा वित्तीय सहायता.
25. साहित्य, कला, तथा स्वाधीनता संग्राम/आंदोलन के क्षेत्र में शोध कार्य के लिए फैलोशिप.
26. सार्वजनिक स्थलों पर विशिष्ट व्यक्तियों की प्रतिमा स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान करना.
27. स्वाधीनता संघर्ष सेनानियों/शहीदों की स्मृति में शहीद स्तम्भों तथा स्मारकों की स्थापना.
28. सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ–नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, सामान्य भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

(आ) विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम और नियमः

1. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964).
2. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा पुरावशेष नियम, 1975.
3. मध्यप्रदेश निखात निधि नियम, 1964.
4. मध्यप्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1957 (क्रमांक 5 सन् 1958).
5. राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009).

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालयः

1. संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल.
2. संस्कृति संचालनालय, भोपाल.
3. स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल.

4. क्षेत्रीय उप–संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर.
5. राजकीय अभिलेखागार क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर और ग्वालियर.
6. राज्य स्तरीय संग्रहालय, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, धुबेला (जिला–छतरपुर) तथा रामवन (जिला–सतना)
7. जिला स्तरीय संग्रहालय, शहडोल,रीवा,पन्ना,ओरछा (जिला–टीकमगढ़),विदिशा, राजगढ़, होशंगाबाद,देवास,धार, जबलपुर,मंदसौर और मण्डला.
8. पुरातत्व कार्यालय रीवा,सागर,जबलपुर,होशंगाबाद, भोपाल और इंदौर.
9. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, भोपाल तथा जबलपुर.
10. जिला पुरातत्व संघ, उज्जैन, खरगोन, खण्डवा, रतलाम, बैतूल, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, रायसेन, शाजापुर, सागर, सीहोर, दतिया, दमोह और झाबुआ.
11. संगीत महाविद्यालय, ग्वालियर,उज्जैन,इंदौर,मंदसौर, धार,नरसिंहपुर,मैहर और खण्डवा.
12. ललित कला महाविद्यालय, ग्वालियर,जबलपुर,इंदौर और धार.
13. रवीन्द्र भवन, भोपाल.
14. डा.शंकरदयाल शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम राज्य संग्रहालय, भोपाल.
15. शहीद भवन, भोपाल.
16. मैहर बैण्ड

(ई) अधिनियम के अधीन गठित मण्डल, निगम और विश्वविद्यालयः

1. राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकायः

1. भारत भवन.
2. मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद, भोपाल.
3. मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी, भोपाल.
4. मध्यप्रदेश लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी, भोपाल.
5. उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, भोपाल.
6. कालिदास अकादमी, उज्जैन.
7. मध्यप्रदेश रंगमंडल, भोपाल.
8. चक्रधर नृत्य केन्द्र, भोपाल.
9. ध्रुपद केन्द्र, भोपाल.
10. मध्यप्रदेश नेहरू केन्द्र, लालबाग न्यास, इंदौर.
11. मध्यप्रदेश हेरीटेज डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, भोपाल.
12. प्रेमचंद सृजन पीठ, उज्जैन.
13. निराला सृजन पीठ, भोपाल.

14. मुक्तिबोध सृजन पीठ, सागर.
15. बाल साहित्य शोध पीठ, इंदौर.
16. कला संकुल, उज्जैन,ग्वालियर, जबलपुर, सागर, और विदिशा.
17. धर्मपाल शोध पीठ, भोपाल.
18. महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ, भोपाल/उज्जैन.
19. ख्याल केन्द्र, भोपाल और ग्वालियर.

(ऊ) **विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों:**

1. मध्यप्रदेश राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय भर्ती (चतुर्थ श्रेणी) नियम, 1997
2. मध्यप्रदेश पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित, अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 1999.
3. मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग अधीनस्थ (राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय) राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 1998
4. मध्यप्रदेश पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1998.
5. मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग अधीनस्थ (राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय) तृतीय श्रेणी (लिपिकीय तथा अलिपिकीय) सेवा तथा भर्ती नियम, 1999.
6. मध्यप्रदेश पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय (चतुर्थ श्रेणी) भर्ती नियम, 1998.
7. मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् सेवा तथा भर्ती नियम, 2005.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 1–10/2010/एक(1) –– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–10/2010/एक(1), दिनांक 8 .12.2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 8th December 2011

No. F 1-10-2010-ONE(1) -- In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule, under the heading "XXX Culture Department", for parts (A) to (F) and entries relating thereto, the following parts and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

(A) Matters of Policy dealt within the Department :

1. Forming of policy for Culture
2. Promotion of Art, Literature and Culture through all possible measures and framing of various new schemes in this context.
3. Use of Hindi Language in official work and as a medium of instruction in educational institutions.
4. Study and preservation of Indian Languages.
5. To encourage and provide financial assistance to the non- government cultural organizations.
6. Promotion, strengthening and expansion of Music and Fine Arts and to establish its colleges.
7. Preservation of historical documents and manuscripts and research work.
8. Survey, identification, documentation, procurement, collection, protection, exhibition, excavation, conservation of heritage and treasure trove spread across the State.
9. Protection of Historical Monuments and development of Museums.
10. Registration of private collection of archaeological remains.
11. Artistic exhibition of materials of archaeological importance in the museums. Production of replicas. Exhibitions, Publication and research seminars on archaeological subjects.
12. Writing, publication and re-printing of state/district Gazetteers.
13. Organizing and conducting of lectures, symposiums and various programmes/ activities related to the Art, literature and culture.
14. Protection, conservation, promotion, exhibition, training and development of tribal and folk art, literature and culture.
15. Study, documentation, collection, exhibition, symposiums on various dimensions of freedom movement and freedom struggle – Swaraj; Collection and publication of authentic books/manuscripts; conduct, promote, propagate the high level activities on these struggles.

16. Collection production and publication of films, paintings, new-papers, documents, books and literature, momentoes centered on freedom struggle in India as well all over the world.
17. To conduct seminars, lectures, symposiums and cultural programmes on freedom fighters/ movement.
18. Awarding selected artists, writers, scholars, archaeologists and related institutions.
19. Awards on the subjects related to freedom struggle - Swaraj.
20. To conduct centenaries and birth anniversaries programmes dedicated to freedom fighters/heroes and their sacrifices; to sanction grants for these purposes to voluntary organisations.
21. Drama Schools; study, training, development of stage performance art.
22. Establishment, Operation and Coordination of Film City, Film making, training, promotion, development and all related subjects.
23. Preservation and conservation of pilgrimages, fairs and cultural conventions.
24. Pension and financial assistance to artists and writers in financial paucity.
25. Fellowship for research work in the feild of literature, arts and freedom struggle/ movement.
26. To grant permission for the installation of statues of eminent personalities, at public places.
27. Erection and installation of memorials and pillars in memory of freedom fighters and martyrs
28. All matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department), e.g. appointments, postings, transfers, salary, leave, pension, promotions, General Provident Fund, deputation, punishment and memorials.

(B) Act and Rules administered by the Department :

1 Madhya Pradesh Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1964 (No. 12 of 1964).

2 The Madhya Pradesh Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1975

3 Madhya Pradesh Treasure Trove Rules, 1964

4 Madhya Pradesh Raj Bhasha Act. 1957 (No. 5 of 1958)

5 Raja Mansingh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidhyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 4 of 2009)

(C) Directorates and Offices coming under the Department :

1 Directorate of Archaeology, Archives and Museums, Bhopal

2 Directorate of Culture, Bhopal.

3 Directorate of Swaraj Sansthan, Bhopal

4 Regional Deputy Director, Archaeology, Archives and Museums, Jabalpur, Indore and Gwalior.

5 State Archives Regional Office, Indore and Gwalior

6 State Level Museum Bhopal, Gwalior, Jabalpur, Indore, Dhubela (Distt. Chhatarpur) and Ramvan (Distt. Satna)

7 District Level Museum Shehdol, Rewa, Panna, Orchha (Distt. Tikamgarh), Vidisha, Rajgarh, Hoshangabad, Dewas, Dhar, Jabalpur, Mandsaur and Mndala

8 Office of the Archaeologist Rewa, Sagar, Jabalpur, Hoshangbad, Bhopal and Indore .

9. Registration Officer, Bhopal and Jabalpur

10 Jila Puratatva Sangh Ujjain, Khargoan, Khandwa, Ratlam, Betul, Bhind, Murena, Sheopur, Raisen, Shajapur, Sagar, Sehore, Datia, Damoh and Jhhabua

11 Music College Gwalior, Ujjain, Indore, Mandsaur, Dhar, Narsinghpur, Mehar and Khandava

12 Fine Arts College Gwalior, Jabalpur, Indore and Dhar

13 Ravindra Bhavan, Bhopal

14 Dr. Shankar Dayal Sharma Swatantrata Sangram Rajya Sangrahalaya, Bhopal

15 Shahid Bhavan, Bhopal

16 Maihar Band

(D) Boards, Corporations and Universities formed under the Act.

1 Raja Mansingh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidhyalaya, Gwalior

(E) Other organizations and bodies not falling under the section D as mentioned above

1 Bharat Bhavan

2 Madhya Pradesh Sanskriti Parishad, Bhopal

3 Madhya Pradesh Sahistya Akadami, Bhopal

4 Madhya Pradesh Lok Kala Evan Tulsi Sahitya Akadami, Bhopal

5 Ustad Allauddin Khan Sangit Evan Kala Akadami, Bhopal

6 Kalidas Akadami, Ujjain

7 Madhya Pradesh Rang Mandal, Bhopal

8 Chakradhar Nritya Kendra, Bhopal

9 Dhrupad Kendra, Bhopal

10 Madhya Pradesh Nehru Kendra, Lalbag Trust, Indore

11 Madhya Pradesh Heritage Development Trust, Bhopal

12 Premchand Srijan Peeth, Ujjain

13 Nirala Srijan Peeth, Bhopal

14 Muktibodh Srijan Peeth, Sagar

15 Bal Sahitya Shod Peeth, Indore

16 Kala Sankul, Ujjain, Gwalior, Jabalpur, Sagar and Vidisha

17 Dharmapal Shodh Peeth, Bhopal

18 Maharaja Vikramaditya Shodh Peeth, Bhopal/ Ujjain

19 Khayal Kendra Bhopal and Gwalior

(F) Name of the services, if any, coming under the department and special service matters (If any) :

1 Madhya Pradesh Official Languages and Culture Directorate Recruitment (Class IV) Rules, 1997

2 Madhya Pradesh Archeological, Archives and Museum Class III (Non-Gazetted , Non-Clerical) Service Recruitment Rules, 1999

3 Madhya Pradesh Culture Department Subordinate (Official Language and Culture Directorate) Gazetted Services Recruitment Rules, 1998

4 Madhya Pradesh Archeological, Archives and Museum (Gazetted) Service Recruitment Rules 1998

5 Madhya Pradesh Culture Department Subordinate (Official Language and Culture Directorate) Class III (Clerical and Non-Clerical) Service and Recruitment Rules, 1999

6 Madhya Pradesh Archeological, Archives and Museum Directorate (Class IV) Recruitment Rules, 1998

7 Madhya Pradesh Sanskriti Parishad Service and Recruitment Rules, 2005

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.